



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 350 राँची, गुरुवार 31 वैशाख, 1937 (श०)
21 मई, 2015 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

20 मई, 2015

संख्या-एल0जी0-15/2015-32/लेज0-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अध्यादेश पर राज्यपाल दिनांक 20 मई, 2015 को अनुमति दे चुके हैं इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) अध्यादेश, 2015

(झारखण्ड अध्यादेश, 01, 2015)

झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) अधिनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

प्रस्तावना:- चूँकि झारखण्ड विधानमंडल सत्र में नहीं है और चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिसके कारण झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) अधिनियम, 2011 में वर्णित रीति से संशोधन करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ।

इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद-213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ

- (1) यह अध्यादेश झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 कहा जा सकेगा ।
- (2) यह तुरंत प्रभावी होगा ।
- (3) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

2. झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 27, धारा 27(क), धारा 27(कक), धारा 27(ख), धारा 27(ग) में फीस निर्धारण उप समिति द्वारा निर्णय लेने, क्रय-विक्रय का लेखा एवं बाजार फीस निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है एवं धारा 31(क), 31(ख), 31(ग) के द्वारा जांच चौकियों की स्थापना, लेखा पेश करने का आदेश देने और प्रवेश, निरीक्षण तथा अभिग्रहण करने की शक्ति तथा यान आदि रोकने की शक्तियाँ प्रदत्त हैं ।

“धारा 27, धारा 27(क), धारा 27(कक), धारा 27(ख), धारा 27(ग) में फीस निर्धारण उप समिति द्वारा निर्णय लेने, क्रय-विक्रय का लेखा एवं बाजार फीस निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है एवं धारा 31(क), 31(ख) एवं 31(ग) के द्वारा जांच चौकियों की स्थापना, लेखा पेश करने का आदेश देने और प्रवेश, निरीक्षण तथा अभिग्रहण करने की शक्ति तथा यान आदि रोकने की शक्तियां विलोपित की जाती है।”

रांची

दिनांक-20 मई, 2015

द्रौपदी मुर्मू

झारखण्ड राज्यपाल

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

बी0 बी0 मंगलमूर्ति,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

- अधिसूचना -

20 मई, 2015

संख्या-एल0 जी0-15/2015-33/लेज0-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 मई, 2015 को अनुमत झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

**THE JHARKHAND AGRICULTURAL PRODUCE MARKET (AMENDMENT)
ORDINANCE-2015**

(Jharkhand Ordinance, 01, 2015)

An Ordinance

To amend the The Jharkhand Agricultural Produce Market (Amendment) Act, 2011

Preamble:- Whereas, the legislative Assembly of the State of Jharkhand is not in session

And whereas, the Governor of Jharkhand is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to amend The Jharkhand Agricultural Produce Market (Amendment), 2011 adopted as the manner herein after appearing :-

Now, therefore, in the exercise of power conferred by clause (1) of Article, 213 of the Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Chapter-I

Commencement

1. Short title, extent and commencement :-
 - (i) This Ordinance may be called The Jharkhand Agricultural Produce Market (Amendment) Ordinance, 2015
 - (ii) It shall come into force at once.
 - (iii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

2. Jharkhand agricultural produce market (Amendment) Act, 2011, Section 27, Section 27(A), 27(AA), 27(B), 27(C) prescribe process to decide market fee by subcommittee and to buy-sell process of accounting and market assessment fees and

Section 31, 31(A), 31(B), 31(C) provide for establishment of check post, submission of sell account and accesses, inspection and seizure powers to stop vehicle.

Sections 27, 27(A), 27(AA), 27(B), 27(C) which prescribe to decide market fee by subcommittee and to buy-sell process of accounting and market assessment fees and Sections 31(A), 31(B), 31(C) which provide for establishment of check post, submission of sell account and accesses, inspection and seizure powers to stop vehicle etc. are repealed .

Ranchi

Dated:- 20/05/2015

(Draupadi Murmu)

Governor of Jharkhand

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

बी० बी० मंगलमूर्ति,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित

झारखण्ड गजट (असाधारण) 350-50 ।